न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी / सहायक कलेक्टर राजगढ जिला अलवर

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)

र्थना पत्र संख्या :– 03/33/2025 ऑनलाईन नम्बर 2025/173 प्रवेश तिथि–27.06.2025

1. कन्हैया लाल शर्मा पुत्र श्री रामनिवास शर्मा निवासी ढिगावडा तहसील राजगढ जिला अलवर।

...............प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर महोदय अलवर राजस्थान।
2. तहसीलदार राजगढ जिला अलवर

...............अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956
उपस्थित :1. श्री सतीश शर्मा एड0 प्रार्थी
2. तहसीलदार राजगढ

–:निर्णय:– दिनांक –19/11/2025

1 आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम बाबत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की आराजी खाता संख्या 29 आराजी खसरा नम्बर 1296/0.72, 1297/0.62, 566/0.39, 567/0.39, 568/0.22, 569/0.01, 570/0.50, 571/0.48, 572/0.22, 573/0.31 कुल किता 10 कुल रकबा 3.86 है0 वाके ग्राम ढिगावडा तहसील राजगढ जिला अलवर में अवस्थित है। जिसके सम्वत 2046 से पूर्व के साबिक खसरा संख्या 638, 318, 317, 319, 320, थे। जमाबन्दी सम्वत 2029 में साबिक खाता संया 382 में दर्ज उक्त साबिक आराजी में प्रार्िी के पिता रामनिवास पुत्र मनीराम की जाति ब्राहम्ण संजोगी दर्ज कर दी गई है। जबकि उक्त जमाबन्दी में ही खाता संख्या 83 में प्रार्थी के पिता रामनिवास पुत्र मनीराम के अन्य खातेदारी की आराजी के साबिक खसरा संख्या 324 ,323 में उनकी जाति ब्रहाम्ण दर्ज है। इसी प्रकार जमाबन्दी सम्वत 2030–33 में भी खाता संख्या 328 में दर्ज आराजी में प्रार्थी के पिता रामनिवास की जाति महाजन दर्ज कर दी गई। जबकि उसी जमाबन्दी के खाता संख्या 229 में उनकी जाति ब्राहम्ण दर्ज वास्तविकता में प्रार्थी की जाति ब्राहम्ण है। जबकि उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता की जाति गलत तौर पर महाजन दर्ज है। जो बदस्तुर प्रार्थी की खातेदारी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो गलत है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की जाति महाजन के स्थान पर ब्राहम्ण दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार राजगढ से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार राजगढ के पत्रांक क्रमांक/भू.अ./2025/1843 दिनांक 26.09.2025 की मौका जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो कि शामिल पत्रावली है। तहसीलदार राजगढ की रिपोर्ट से साबित है कि मिसल बन्दोबस्त 2014 में साबिक खसरा संख्या 318, 319 मंदिर माफी श्री सीताराम जी महाराज वाके ग्राम पुजारी ज्ञानदास चेला श्योजीराम महंत खुदकाश्त माफीदार व साबिक खसरा संख्या 638 मनीराम पुत्र लाला राम, रामनिवास पुत्र मनीराम, जाति ब्राहम्ण दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी सम्वत 2022 में खाता संख्या 318, 319 रामनिवास, रामकिशोर पुत्र मनीराम संजोगी स्वामी सा0 देह व खसरा संख्या 638 मनीराम पुत्र लालाराम, रामनिवास पुत्र मनीराम, सा0

उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ
जिला–अलवर

काश्तकार रामनिवास मजकुर 1/2 रामकिशोर भाई खुद 1/2 के नाम दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत 2025–28 में खसरा संख्या 318, 319, 320, 638 रामनिवास, रामकिशोर, पुत्रान मनीराम राम भाग जाति ब्रहाम्ण संजोगी सा0 देह गैर खातेदार दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत 2029–32 में उक्त खसरा संख्या पर नामा0 संख्या 210 इन्द्राज दुरूस्ती से गैर खातेदारी से खातेदारी प्रदान की गई। जमाबन्दी सम्वत 2029–32 में उक्त खसरा संख्या पर नामा0 संख्या 214 जरिये बेचान द्वारा रामकिशोर पुत्र मनीराम द्वारा हिस्सा 1/2 का बेचान गिर्राज प्रसाद पुत्र मूलचन्द वैश्य सा0 देह खातेदार दर्ज हुआ है। जमाबन्दी सम्वत 2030–33 में खसरा संख्या 318, 319, 320, 638, रामनिवास पुत्र मनीराम, 1/2 हिस्सा, गिर्राज प्रसाद पुत्र मूलचन्द जाति महाजन 1/2 भाग के नाम खातेदारी भूमि दर्ज है। तहसीलदार राजगढ की रिपोर्ट के अनुसार कन्हैयालाल, भगवान सहाय, पुत्रान रामनिवास, कैलाशी, प्रेम, पुत्रीया रामनिवास की जाति संजोगी ब्राहम्ण दर्ज है। तहसीलदार की रिपोर्ट व मौका पर्चा पटवारी के अनुसार प्रार्थी की जाति महाजन के स्थान पर संजोगी ब्राहम्ण दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

3. बहस स्वयं प्रार्थी सुनी गई। दौरान–ए–बहस वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये उल्लेख किया कि प्रार्थी की आराजी खाता संख्या 29 आराजी खसरा नम्बर 1296/0.72, 1297/0.62, 566/0.39, 567/0.39, 568/0.22, 569/0.01, 570/0.50, 571/0.48, 572/0.22, 573/0.31 है0 वाके ग्राम ढिगावडा तहसील राजगढ जिला अलवर में अवस्थित है। जिसके सम्वत 2046 से पूर्व के साबिक खसरा संख्या 638, 318, 317, 319, 320, थे। जमाबन्दी सम्वत 2029 में साबिक खाता संया 382 में दर्ज उक्त साबिक आराजी में प्रार्थी के पिता रामनिवास पुत्र मनीराम की जाति ब्राहम्ण संजोगी दर्ज कर दी गई है। जबकि उक्त जमाबन्दी में ही खाता संख्या 83 में प्रार्थी के पिता रामनिवास पुत्र मनीराम के अन्य खातेदारी की आराजी के साबिक खसरा संख्या 324 ,323 में उनकी जाति ब्राहम्ण दर्ज है। इसी प्रकार जमाबन्दी सम्वत 2030–33 में भी खाता संख्या 328 में दर्ज आराजी में प्रार्थी के पिता रामनिवास की जाति महाजन दर्ज कर दी गई। जबकि उसी जमाबन्दी के खाता संख्या 229 में उनकी जाति ब्राहम्ण दर्ज वास्तविकता में प्रार्थी की जाति ब्राहम्ण है। जबकि उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता की जाति गलत तौर पर महाजन दर्ज है। जो बदस्तुर प्रार्थी की खातेदारी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो गलत है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की जाति महाजन के स्थान पर ब्राहम्ण दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजत तहसीलदार राजगढ की रिपोर्ट दिनांक 26.09.2025, जमाबन्दी मिश सम्वत 20104, जमबान्दी सम्वत 2022–25, जमाबन्दी सम्वत 2025, जमाबन्दी सम्वत 2029–32, नामा0 संख्या 210, नामा0 संख्या 214, जमाबन्दी सम्वत 2030, मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2046, मिसल बन्दोबस्त 2046, जमाबन्दी सम्वत 2049–52, जमाबन्दी सम्वत 2057–60, जमाबन्दी सम्वत 2061–64 मौका पर्चा पटवारी, जमाबन्दी वाढ ढिगावडा खाता संख्या 51, आदि का अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र की पुष्टि में उक्तानुसार प्रस्तुत दस्तावेजात व तहसीलदार राजगढ की जॉच रिपोर्ट व मौका पर्चा पटवारी से भी प्रार्थना पत्र प्रार्थी तथ्यो के सही होने की पूर्णरूप से पुष्टि होती है, प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः–

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला–अलवर

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला–अलवर
सत्यमेव जयते

कन्हैयालाल बनाम तहसीलदार राजगढ
मुकदमा संख्या– 03/33/2025

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 आराजी आराजी खाता संख्या 29 आराजी खसरा नम्बर 1296/0.72, 1297/0.62, 566/0.39, 567/0.39, 568/0.22, 569/0.01, 570/0.50, 571/0.48, 572/0.22, 573/0.31 कुल किता 10 कुल रकबा 3.86 है0 वाके ग्राम ढिगावडा तहसील राजगढ जिला अलवर में प्रार्थी कन्हैया लाल पुत्र रामनिवास की जाति महाजन दर्ज रिकार्ड है। उसके स्थान पर प्रार्थी कन्हैया लाल पुत्र रामनिवास की जाति संजोगी ब्राहम्ण दुरूस्त किया जावे। तथा शेष इन्द्राज यथावत रखा जावे। तहसीलदार राजगढ को निर्णय की पालना के लिए तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19/11/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पुर्ति जमा लेख भण्डार हो।

(सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला–अलवर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला–अलवर

क्रमांक/कोर्ट/रीडर/2025/376 दिनांकः–25/11/2024

तहसीलदार राजगढ
जिला–अलवर

विषयः–हाजा न्यायालय अनुवानी प्रकरण कन्हैयालाल बनाम सरकार मुकदमा संख्या 03/33/2025 आदेश दिनांक 19/11/2025 की पालना करने बाबत।

उपर्युक्त प्रसांगिक पत्र के सम्बंध में लेख है कि कि उक्त प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ में विचाराधीन था। जिसका निर्णय दिनांक 19/11/2025की प्रति आपको संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः उक्त प्रकरणों में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नही हो तो नियमानुसार कार्यवाही की जाकर निर्णय की पालना रिपोर्ट से हाजा न्यायालय को अवगत कराये।

संलग्नः– उपर्युक्तानुसार

(सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिलाः–अलवर